

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रो-05-05/12...../राँची, दिनांक :...../

—: आदेश :—

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 19.08.2013 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में रूप से स्वीकृत किया जाता है

क्र.	कनीय अभियंता का नाम/ गृह जिला / आई.डी. कोड/ पदस्थापन स्थान	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 10000-15200)
1	2	3	4	5
1.	श्री वन्दर्कांत प्रसाद सिन्हा सारण/ जे 6644/समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंवल 01, राँची	26.02.79	09.08.99	26.02.03
2.	श्री द्वारिका नाथ राय बलिया/जे 9064/औरंगा निर्माण प्रमंडल पांकी/	05.09.89	05.09.01	
3.	श्री कैदार राम 02.01.62/जे 9043/कदवन बाँध प्रमंडल, नगर उटारी(गढ़वा)	03.08.89	03.08.01	
4.	श्री कृष्ण मुरारी वृत्तिया औरंगाबाद/जे 6788ए/09.10.53 सिंवाई प्रमंडल जामताड़ा	26.02.79	09.08.99	26.02.03

- (ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ 15.11.2000 से देय होगा।
- (ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/ संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
- (घ) स्वीकृति आदेश पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :

रॉची, दिनांक :

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :

रॉची, दिनांक :

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :

रॉची, दिनांक :

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ राज्य के सभी उपायुक्त/ माननीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख 01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची/ संबंधित सभी मुख्य अभियंता(लघु सिंचाई सहित)/ मत्स्य विभाग/ निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, रॉची/ प्रबंधक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रॉची/ विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग/ प्रशाखा-01, 02 एवं 03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित/प्रेषित।

201

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :

5556

रॉची, दिनांक : 23-9-13

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

पत्रांक :-3/सम्पुष्टि-6-29/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,

आदेश

1. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 30.12.81 की कंडिका-II में निहित प्रावधान के आलोक में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा को जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 5564 दिनांक 27.08.1990 द्वारा दिनांक 02.07.89 के प्रभाव से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।
2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी०बी०-III ग्रेड पे .7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई० डी० कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी०बी०-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु० 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा/जे० 7302/ 02.07.1954/ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, दुमका	02.07.79	02.07.79	

3. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

21/

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

५०१

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, दुमका को स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त तीन भाग मूल में, के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

५०१

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 5590

राँची, दिनांक..... 24-9-13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

५०१

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/सम्पुष्टि-06-29/2013 / राँची, दिनांक : /

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या-5590 दिनांक 24.09.2013 के क्रमांक-01, पर स्व. कामेश्वर प्रसाद सिन्हा के नाम के सामने स्तम्भ-04 पर अंकित तृतीय एम.ए.सी.पी. लाभ की देय तिथि 02.07.79 के स्थान पर 02.07.09 पढ़ा जाय।

2. इस हद तक आदेश को संशोधित समझा जाय।
3. शेष कंडिकाएँ यथावत् प्रभावी रहेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव(प्र०)

ज्ञापक : राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव(प्र०)

ज्ञापक : राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव(प्र०)

ज्ञापक : **5639** राँची, दिनांक : **26-9-13**
प्रतिलिपि: बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव(प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-19/2013...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.02 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6671 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 6500-10500, पी.बी. III को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गोपाल पासवान जे 9056/05.04.68/जलपथ अंचल, चाईबासा	03.08.89	03.08.2001	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त ए०सी०पी० के तहत सुनिश्चित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागु है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

४०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा को श्री गोपाल पासवान, कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग मूल के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

5622 रॉची, दिनांक :- 26-9-13
पे:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल
न विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (पे)
25/9/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-31/2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-542 दिनांक 30.01.13 एवं 6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अश्वयुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री उमेश प्रसाद शर्मा/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका/जे 6090ए/11.11.52	06.02.79	06.02.09	
2	श्री बासुकीनाथ सिंह/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर/ जे 6607/11.01.54	01.03.79	01.03.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र राँची/ कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर को क्रमशः श्री उमेश प्रसाद शर्मा एवं श्री बासुकीनाथ सिंह, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त 03 भाग(मूल) के साथ/संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- 5636

राँची, दिनांक :- 26-9-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-06/2013..... / रॉची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबन्धिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राकेश रंजन सिन्हा/ जे 6931/11.09.54/ रूपांकण प्रमंडल सं. 02, रॉची	02.03.79	02.03.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची/ कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं. 02 रॉची को श्री राकेश रंजन सिन्हा, कनीय अभियंता का सेवापुस्त 03 भाग(मूल) के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- 5637 रॉची, दिनांक :- 26-9-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06 23/2012..... / राँची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6996 दिनांक 07.12.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री श्याम सुन्दर राम/ सिंचाई प्रमंडल सं.-02, जामताड़ा/जे 3749/ 01.07.49	12.01.74	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं.-02, जामताड़ा, को श्री श्याम सुन्दर राम, कनीय अभियंता का सेवापुस्त 02 भाग(मूल) के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5638 राँची, दिनांक :- 26-9-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / सम्पुष्टि-06-15 / 2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6996 दिनांक 07.12.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सत्य प्रकाश/ जे 436एम/ 18.10.50/ लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	29.05.73	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक: राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई राँची/ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची को श्री सत्य प्रकाश, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त 03 भाग(मूल) के साथ/संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक : 5640 राँची, दिनांक :- 26-9-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनीज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-24/2012...../ रॉची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011, 264 दिनांक 27.01.12 एवं 6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु०-5400/- एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु० 5400/- देय तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु० 7600/- देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री सदानन्द चौरसिया जे 6818/02.04.58/रूपांकण प्रमंडल सं०-04, देवघर	02.03.79	—	02.03.09
2	श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जे 5606/01.06.54/ रूपांकण अंचल, देवघर	05.02.79	—	05.02.09
3	श्री शम्भूनाथ झा जे 4375/16.03.51/जलपथ अंचल, दुमका	09.12.76	—	01.09.08
4	श्री वरुण कुमार मिश्र जे 8370/01.12.62/ रूपांकण प्रमंडल सं०-04, देवघर	22.04.88	01.09.08	—

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल सं०-04, देवघर/ अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकण अंचल, देवघर/ अधीक्षण अभियन्ता, जलपथ अंचल, दुमका/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

5641

राँची, दिनांक :-

26-9-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

12/26/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/ सम्पुष्टि-06-07/2012...../ रॉची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 2886 दिनांक 19.10.2011 एवं 6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ 04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600 39100, पी.बी. III, ग्रेड पे रू. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी. III) एवं वेतनमान 15600 39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कामेश्वर प्रसाद/ जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग/ जे 4518/22.05.53	02.02.79	02.02.09	
2	श्री विजय प्रसाद शर्मा/ जलपथ प्रमंडल सं. 01, चक्रधरपुर/ जे 7232/20.02.53	29.06.79	29.06.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मंगोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक: रॉची, दिनांक :
प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मंगोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक: रॉची, दिनांक :
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग को श्री कामेश्वर प्रसाद, कनीय अभियंता का सेवापुस्त 03 भाग (मूल)/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं. 01, चक्रधरपुर/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मंगोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक: 5650 रॉची, दिनांक : 27-9-13
प्रतिलिपि: बायोडाटा कोषाग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ जेब इंफोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मंगोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/कोर्ट केश-11-9/10

राँची, दिनांक :-

आदेश

विस्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 30.12.81 का कंडिका II में निहित प्रावधान के आलोक में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत श्री विजय कुमार प्रसाद को जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार द्वारा आदेश संख्या 5564 दिनांक 27.08.1990 से दिनांक 09.02.1989 के प्रभाव से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को सम्पुष्ट किया जाता है।

विस्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या 1783 दिनांक 23.06.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान पी० बी०-III, ग्रेड पे रु० 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रम सं०	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/ आई०डी० कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम० ए० सी० पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण पी० बी०-03) एवं ग्रेड पे० रु०-7600/- में देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री विजय कुमार प्रसाद/ जे०-6118 / 12.11.50 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला	09.02.79	09.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम० ए० सी० पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापक -

रौंछी, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता ग्रामीण विकास विशेष प्रकल्प, रौंछी/कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, भुमला को श्री विजय कुमार प्रसाद कनीय अभियन्ता की सेवा पुस्त दो भाग (मूल रूप में) के साथ/संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

हच/ -

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापक -

5654

रौंछी, दिनांक -

27-9-13

प्रतिलिपि:-बायेडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, रौंछी/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

28/9/13